## कार्यालय महालेखाकार(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा ) मध्यप्रदेश,ग्वालियर 474002

## शासकीय आवास आवंटन के लिये आवेदन पत्र का प्रोफार्मा *

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सरकारी कर्मचारी का नाम (हिन्दी एवं अग्रेजी मे स्पष्ट अक्षरो में ) | |
| 2 | पदनाम एवं स्थायी क्रमांक | |
| 3 | कार्यालय जिसमें कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है | |
| 4 | इच्छित आवास का टाइप | |
| 5 | इच्छित आवास टाइप की पात्रता ग्रेड वेतन धारित करने का दिनांक | |
| 6 | दिनांक 01/01/20__ को मूल वेतन(लेवल सहित) | |
| 7 | शासकीय सेवा में आने का दिनांक एवम् उस कार्यालय का नाम | |
| 8 | जन्म तिथि | |
| 9 | भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में आने का दिनांक | |
| 10 | दिनांक 01/03/20___ को पदक्रम सूची का पृष्ठ एवं सरल क्रमांक | |
| 11 | श्रेणी– सामान्य/अन्य पिछ्डा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | |
| 12 | क्या कर्मचारी विकलांग है यदि हाँ तो विकलांगता की प्रकृति लिखे (अस्थि विकलांग, श्रवण विकलांग,दृष्टि विकलांग ) | |
| 13 | परिवार के सदस्यों की संख्या एवं आवेदक से संबंध | |
| 14 | क्या पदस्थापना स्थान पर या नगर पालिका परिसीमा के अन्दर आवेदक के नाम से अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई मकान है। | |
| 15 | यह मूल प्रथम आवेदन है या नवीनीकरण | |
| 16 | वर्तमान निवास का सही पता व दूरभाष क्रमांक | |

मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मेरे द्वारा आवास आवंटन नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा । मेरे पति/पत्नी को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा शासकीय आवास आवंटित नहीं किया गया हैं ।

**ग्वालियर**

**दिनांक**

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम .....

**प्रतिहस्ताक्षरितः**

पदनाम व स्थाई क्रमांक .....

अनुभाग का नाम .....

**स.ले.प.अ./स.ले.अ./प्रशासन–**

अनुभाग का दूरभाष. .....

**नोट 1–** शासकीय आवास के आवंटन होने के पश्चात यदि शासकीय अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदस्थापना स्थान पर या नगर पालिका क्षेत्र मे कोई मकान का मालिक हो जाता/जाती है तो नियम 3(3) के अन्तर्गत एक माह के भीतर संपदा अधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करें ।

2. आवंटन आदेश के जारी होने के 5 दिन के भीतर आदेश प्राप्त न करने अथवा आदेश प्राप्ति के 8 दिन के भीतर आवंटित आवास का अधिपत्य न लेने के स्थिति में आवंटन निरस्त माना जावेगा एवं आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष पुनः आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी । इसके अतिरिक्त आवंटित आवास का एक माह का विज्ञप्ति शुल्क एवं जल प्रभार भी वसूला जावेगा।